—— Action taken Report in compliance of order dated 18.02.2022 passed by Honrable National Green Tribunel Principle Bench, New Delhi in Appeal no. 06/2022 (I.A. No. 29/2022) Prabhar Rai and Others V/s Union of India and others.

Background

A grievance application regarding a Common Bio-Medical Waste Facility (CBWTF) being allowed to setup in contravention of the guidelines for sitting criteria at Arazi No. 1006 falling in village- Paharpur, Post- Gotha Rasoolpur, Tehsil & District- Deoria, U.P. was filed by Prabhakar Rai and Others. Honorable National Green Tribunal considered this grievance application as Appeal No. 06/2022. Honorable National Green Tribunal passed order on dated. 18.02.2022 in Appeal No. 06/2022. The related portion of this order is as mentioned below:-

"…. In view of the above grievance of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the SEIAA, State PCB and District Magistrate, Deoria, Uttar Pradesh. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCF Support PDF and not in the form of Image PDF….."

Accordingly and action taken report in compliance of order passed on dated 18.02.2022 by Honorable N.G.T. in Appeal No. 06/2022 has been prepared.

Action taken report

1. In Compliance of said order, U.P. Pollution Control Board (UPPCB) constitute a committee comprising of Member Secretary, SEIAA, District Magistrate Deoria and Regional Officer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur vide letter no. H 72699/C-6/SA-658/2022, dated. 11.03.2022. Copy of the said letter is a annexed as **annexure- 01**.
2. Member Secretary, SEIAA, U.P. Nominated Sri Umesh Chandra Sharma, Member SEAC-1 as member of Joint Committee vide order no. 1085/Pra/A.No. 06 of 2022/22 dated 21.03.2022. Copy of the said order is annexed as **annexure-02**
3. In compliance of order, Joint Committee visited the site of proposed CBWTF situated at Arazi No. 1006 falling in village- Paharpur, Post- Gotha Rasoolpur, Tehsil & District- Deoria, U.P. on dated 04.04.2022. Nominated Joint Committee Member, SEIAA, UP Sri Umesh Chandra Sharma, was not present during site visit of proposed CBWTF.
4. In Compliance of said order, a meeting of Members of Joint Committee as mentioned in order was held on 05.04.2022 in Chairmanship of District Magistrate, Deoria. Proceeding of the meeting and site inspection report is enclosed as **annexure-03.**
5. As per site inspection report of Joint Committee, Distance of Primary Health Centre (Presently non functional) from the proposed CBWTF is 166 meter.
6. As per site inspection repot Joint Committee, Distance of nearest habitat/Population from proposed CBWTF is 184 meter.
7. A conditional consent to establish (CTE) for in question proposed CBWTF has been issued by UPPCB vide Letter No. 5008/UPPCB/Gorakhpur (UPPCBRO)/ CTE/ Deoria/2021, Dated 05.01.2022.

8. State Level Environment Impact Assessment Authority, UP has issued Environment clearance Vide Letter No. MOEF CC Proposal No-SIA/UP/MIS/55933/2021 & SEIAA, UP File No. 5790 Dated 03.12.2021

9. Point No. 6 (b) of Revised Guidelines for Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility Dated 21.12.2016 of Central Pollution Control Board (CPCB), describes Location criteria of a CBWTF. As per Point 6 (b) of Location criteria a CBWTF can be located at a place reasonably for away from notified residential and sensitive areas and should have a buffer distance of preferably 500 m so that it shall have minimal impact on these areas. In case of non-availability of such a land the buffer zone distance from the notified residential area may be reduced to less than 500 m by SPCB/PCC without referring the matter to SPCB by prescribing additional control measures such as :-

(i) adoption of best available technologies (BAT) by the proponent of CBWTF;
(ii) prescribing stringent standards for operation of the CBWTF by the SPCB/PCC
(iii) Adoption of zero liquid discharge by the CBWTF
(iv) In case of any complaints from the public, then CBWTF should prove that the facility is not causing any adverse impact on environment and habitation in the vicinity. If SPCB/PCC is not in a position to resolve the issue relating to buffer zone while selecting the site for CBWTFs, in such a case, SPCBs/PCCs may refer the matter to CPCB.

10. A conditional CTE to in question proposed CBWTF has been issued by UPPCB taking into consideration the provisions described in point no. 6 (b) of Revised Guidelines for Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility dated 21.12.2016 of CPCB. In point no. 33 of CTE Dated 05.01.2022 issued by UPPCB to proposed CBWTF it has been clearly mentioned that concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned in CTE may result in withdrawal of this CTE and attract action under the provisions of Law.

11. Precautionary special conditions has been imposed in the Environmental Clearance issued by SEIAA. UP and Consent to Establish issued by UPPCB with respect to the buffer zone as mentioned in the Revised Guidelines for Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility Dated. 21.12.2016 of CPCB.

12. As no CBWTF was operational in the District- Gorakhpur, Deoria, Kushinagar and Maharajganj, hence in the light of Bio-Medical Waste Management and COVID-19 BMW in aforesaid districts, subjected CBWTF was allowed to establish.

(Pankaj Yadav)
Regional officer
U.P.State Pollution Control Board
Gorakhpur

प्रदुषण रोकिए !
तार - पर्यावरण
Gram : Paryavaran

पर्यावरण बचाइए !!
दूरभाष एवं फैक्स : ०५५१-२२७३९३७
Phone & Fax : 0551-2273937

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
Ref. No. 154 / सा0-275 /2022

दिनांक
Dated 17-6-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित अपील संख्या–06/2022 (आई0ए0 नं0–29/2022) प्रभाकर रॉय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0 एच. 75653/सी0–6/सा0–658/प्रभाकर राय/2022, दिनांक 11.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में मननीय एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुक्रम में बोर्ड द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा ग्राम–पहाड़पुर, पोस्ट–गोथा रसूलपुर, तहसील एवं जिला देवरिया के आराजी संख्या–1006 पर प्रस्तावित सी0बी0डब्यू0टी0एफ0 का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.04.2022 को किया गया। जिलाधिकारी देवरिया की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 05.04.2022 को सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवृत्त एवं संयुक्त समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या पत्र के साथ मूल रूप में संलग्नकर इस कार्यालय के पत्रांक सं0 86/सा0–275/2022, दिनांक 21.04.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित दोनों बिन्दुओं को एक्शन टेकेन रिपोर्ट में समाहित करते हुए माननीय अधिकरण में ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 75653/सी0–6/सा0–658/प्रभाकर राय/2022, दिनांक 11.05.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर-273 008
MAHADEV JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008
E-mail : rogorakhpur@uppcb.com

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या–6/2022, (I.A. No. 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में दिनांक 05.04.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या–6/2022, (I.A. No. 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में आज दिनांक 05.04.2022 को अधोहस्ताक्षरी के कैम्प कार्यालय पर बैठक आयोजित किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थिति हुए :–

1– जिलाधिकारी, देवरिया।
2– श्री कुँवर पंकज, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देवरिया।
3– श्री सौरभ सिंह, उप जिलाधिकारी–सदर, देवरिया।
4– श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

श्री उमेश चन्द्र शर्मा, सदस्य एस0ई0ए0एसी बैठक में अनुपस्थित थे। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री उमेश चन्द्र शर्मा को पत्राचार द्वारा आज की बैठक के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी, (संलग्नक–1) किन्तु वह आने में असमर्थ रहे। कारण पूछने पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री उमेश चन्द्र शर्मा से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में यह बताया गया कि उनको अपने सम्बन्धित विभाग द्वारा नामित करने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है।

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–1071/आ0लि0–2022, दिनांक 02, अप्रैल, 2022 के माध्यम से श्री सौरभ सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट–सदर, देवरिया एवं श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर की संयुक्त टीम का गठन करते हुए शिकायती स्थलीय जाँच हेतु आदेशित किया गया। टीम द्वारा की गयी जाँच संलग्न है। (संलग्नक–2)

जाँच आख्या के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

1– शिकायती स्थल से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (वर्तमान में जर्जर एवं अप्रयुक्त अवस्था में) की दूरी – 166 मीटर
2– प्रस्तावित स्थल से निकटतम् आबादी की दूरी – 184 मीटर

<u>अतिरिक्त कथन :–</u>

जिलाधिकारी द्वारा यह पूछा गया कि जब यह दूरी 500 मीटर से भी कम थी, तो इसका पर्यावरणीय स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र इकाई को कैसे निर्गत किया गया? इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो आख्या प्रेषित की गयी थी, उसमें निकटतम् आबादी लगभग 200 मीटर दर्शायी गयी थी। कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटीज़ की नवीनतम् गाइडलाइन के अनुसार यदि उद्योग की दूरी निकटतम् आबादी से 500 मीटर से कम है तो निम्नलिखित शर्तों के साथ इकाई की स्थापना करनी होती है :–

(i) adoption of best available technologies (BAT) by the proponent of CBWTF.
(ii) rescribing stringent standards for operation of the CBWTF by the SOCB/PCC.
(iii) adoption Zero liquid discharge by the CBWTF and
(iv) in case of any complaints from the public, then CBWTF should prove that the facility is not causing any adverse impact on environment and habitation in the vicinity. If SPCB/PCC is not in a position to resolve the issue relating to buffer zone while selecting the site for CBWTFs, in such a case, SPCBs/PCCs may refer the matter to CPCB.

आशुतोष

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–5008 / UPPCB / Gorakhpur(UPCCBRO) / CTE / DEORIA / 2021, दिनांक 05. 01.2022 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इकाई को स्टेट लेवल इनवार्यनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथारिटी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या–MoEFCC Proposal no-SIA/UP/MIS/55933/2021 & SEIAA, U.P. File no.-5790, के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व दिनांक 15.04.2021 को आहूत लोक सुनवाई का कार्यवृत्त संलग्न है। (संलग्नक–3) शिकायती स्थल की जाँच के समय उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा यह भी शिकायत की गयी कि उनको पूर्व में हुई लोक सुनवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी एवं लोक सुनवाई के समय गांव के लोग कम थे, जबकि बाहर के लोग ज्यादा थे। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक 15.04.2021 को सम्पन्न लोक सुनवाई की उपस्थिति पंजिका एवं वीडियोग्राफी संरक्षित है।

संलग्नक–यथोपरि।

(आशुतोष निरंजन)
जिलाधिकारी,
देवरिया।

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया।

संख्या 285/आ0लि0–2022, दिनांक 05 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2– अध्यक्ष, एस0ई0आई0ए0ए0, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3– उप जिलाधिकारी–सदर, देवरिया।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, गोरखपुर।

जिलाधिकारी,
देवरिया।

महोदय,

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के आदेश दिनांक 02 अप्रैल, 2022 जिसमें मा0 हरित अधिकरण के समक्ष योजित अपील सं0–06/2022 प्रभाकर राय बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में ग्राम पहाड़पुर पोस्ट–गौठारसूलपुर तहसील व जिला–देवरिया के आ0सं0–1006 पर कॉमन वायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल प्लान्ट स्थापित किये जाने के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 तथा रिवाइज्ड गाइडलाइन्स फॉर कामन वायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी दिनांक 21.12.2016 में दिये गये निर्देश के कम में स्थलीय जॉच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु जो निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके अनुपालन कम में दिनांक 02.04.2022 को गठित टीम की उपस्थिति एवं निर्देशन में स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण व आवश्यक पैमाइश की गई, जिससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1. निर्माणाधीन CBWTE यूनिट से ग्राम की निकटतम आबादी जो शिकायतकर्ता श्री प्रभाकर राय का मकान है, कुल 184 मीटर की दूरी पर स्थित है। यही से ग्राम की आबादी प्रारम्भ हो जाती है।
2. ग्राम का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है तथा सामुदायिक शौचालय भी इसके सटे है, CBWTE केन्द्र से कुल 166 मीटर पर स्थित है।
3. CBWTE यूनिट से 1.5 किमी दक्षिण ग्राम भगवानपुर की आबादी स्थित है। पश्चिम 1 किमी की दूरी पर ग्राम सुरचक की आबादी स्थित है तथा पूरब लगभग 2 किमी पर ग्राम धनौती रजडीहा की आबादी स्थित है।

ग्रामीणो द्वारा यह बयान दिया गया कि उक्त बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल प्लान्ट के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की लोक सुनवाई ग्रामीणो के समक्ष नही की गयी।

अतः आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 4.4.2022
क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर

(हस्ताक्षर) 04/04/2022
उप जिला मजिस्ट्रेट
देवरिया सदर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

संख्या 284 /आ0लि0–2022 दिनांक 05 अप्रैल, 2022

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या–6/2022, (I.A. No. 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक एच 72699/सी6/सामान्य 658/2022, दिनांक 11.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या–6/2022, (I.A. No. 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा टीम का गठन कर स्थलीय निरीक्षण कराया गया। स्थलीय निरीक्षण में निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1– शिकायती स्थल से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (वर्तमान में जर्जर एवं अप्रयुक्त अवस्था में) की दूरी – 166 मीटर

2– प्रस्तावित स्थल से निकटतम् आबादी की दूरी – 184 मीटर

स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं दिनांक 05.04.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,
आशुतोष
(आशुतोष निरंजन)
जिलाधिकारी,
देवरिया।